राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 1/परीक्षा 'ग'/विधि रचनाकार/ 2009–2010/ दिनांक– 15.05.2009

विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा, 2009

विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत विधि विभाग के लिए विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा, 2008 के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित :–

1. विधि रचनाकार के रिक्त पदों का विवरण एवं पद की क्रम संख्या 40 :–

पद की क्र.स.	कुल पदों की संख्या	सामान्य	आरक्षित पद			वेतनमान रूपयें
			राजस्थान के अ.जा.	राजस्थान के अ.ज.जा.	राजस्थान के अ.पि.व.	
40	5	1	2	1	1	रूपये 9300–34800

विशेष नोट :– **OMR Application Form** के कॉलम संख्या 11 में पद की क्रम संख्या 40 का स्पष्ट उल्लेख करें । पदों की संख्या में कमीं / वृद्धि की जा सकती है ।

2- पद की शैक्षणिक योग्यता (Qualification) :-

1. Bachelar of Law (2 years course under the old scheme and three years course under the new scheme or a Bachelar of Law (Professional) of a University established by Law in India.

2. Must have had English and Hindi as the subjects (atleast one of them being optional) in the B.A. examination.

3. Working knowledge of Hindi written in Devnagri script and knowledge of Rajasthani Culture.

आवश्यक नोट :– परन्तुक यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्त्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

3. पद का वेतनमान – रूपये 9250/– प्रतिमाह 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में। उक्त अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर वेतनमान पूर्ण देय होगा। अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक – आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का **अन्तिम दिनांक 03.07.2009 (तीन जुलाई 2009)** सायं छः बजे तक (व्यक्तिशः, रजिस्टर्ड ए.डी. अथवा स्पीड पोस्ट डाक द्वारा) इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे । आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो। आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुँचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो।

आवेदक **O.M.R. Sheet** भरने के निर्देशों में दिये गये जिलों के कोड नम्बर में से वांछित कोड नम्बर चुन कर **O.M.R. Sheet** के कॉलम संख्या 07 **Distt. Code, 08 Centre Code** के कॉलम में सावधानी पूर्वक प्रविष्टि करें । आयोग द्वारा उक्त परीक्षा सभी सम्भागीय जिला मुख्यालयों पर अथवा अजमेर एवं जयपुर केन्द्रों पर ली जा सकती है । आवेदक को परीक्षा केन्द्र का आवंटन **O.M.R. Sheet** के कॉलम संख्या 08 में भरे गये परीक्षा केन्द्र के कोड नम्बर एवं अन्य प्रशासनिक

व्यवस्थाओं कों दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा । आयोग द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गये परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी किया जा सकता है । आयोग कार्यालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के बाद परीक्षा केन्द्र एवं अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी ।

क्रमशः..........

5. **परीक्षा का माह एवं दिनांक –** परीक्षा माह **दिसम्बर 2009 के प्रथम सप्ताह** में राज्य के सभी सम्भागीय जिला मुख्यालयों पर अथवा अजमेर एवं जयपुर केन्द्रों पर ली जा सकती है । परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

6. **परीक्षा शुल्क :–** परीक्षा हेतु श्रेणी वार परीक्षा शुल्क तय किया गया है । आवेदकों की सुविधा हेतु परीक्षा शुल्क को आवेदन पत्र के मूल्य रू. 50 के साथ सम्मिलित कर आवेदन पत्रो का विक्रय किया जा रहा है । आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन पत्र खरीद कर आवेदन करे ।

- सामान्य आवेदकों हेतु रू. 250 का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क रूपये 200, आवेदन पत्र मूल्य रू. .50/–)
- अन्य पिछडे वर्ग के नोन क्रिमीलेयर के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं हेतु रूपये 150 का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क रूपये 100 आवेदन पत्र मूल्य रू. 50.)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है एवं रूपये 50 का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क मुक्त केवल आवेदन पत्र का मूल्य रू 50)

7. **आयु** :– आवेदक 1 जनवरी, 2010 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि :–

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का था/की नही हुआ/हुई है। नियमानुसार इस विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देय होगी।
3. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब स्टेक्टिव) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
4. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
5. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।
6. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
7. राजस्थान राज्य के कारोबार में सस्थाई (सबस्टेन्सिस) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8. रिलीब्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर सेवा में कमिशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।

नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 8 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

8. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में** :–सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने का सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

9. नियुक्ति के लिये आयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

3. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसक पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–

क्रमशः.........

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

5. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

10. विशेष सूचना :–

स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के पदों को उसी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा । सभी पद 10–10–2002 से पूर्व के हैं, अतः नियमानुसार उक्त पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा ।

पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

1 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है से ही भरे जायेगें । अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा ।

2 राजस्थान की अन्य पिछडी जाति के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार भरा जायेगा।

3 विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जाती है तो जिसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

4 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहॉ बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा ।

5 पेंशनः– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

6 ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्तियों दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। पद का वेतनमान नियमानुसार।

7 आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

11. आवेदन कैसे करें :–

आवेदक राजस्थान राज्य के सभी सम्भागीय जिला मुख्यालयों से दिनांक 20.05.2009 से जिला रोजगार कार्यालयों में आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये OMR Application Form नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन कर सकते है।

आवेदन पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें । श्रेणी वार आवेदन पत्र का मूल्य निम्न प्रकार तय किया गया है जिसमें विज्ञापन के बिन्दु 6 के अनुसार परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है :–

- सामान्य श्रेणी के आवेदक (सामान्य श्रेणी के आवेदको में उपरोक्त श्रेणी के आवेदकों के अतिरिक्त समस्त आवेदक सम्मिलित है Rs. 250. का आवेदन पत्र

- केवल राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नोन क्रिमीलेयर (Only for O.B.C. Non Creamylayer Candidates of Rajasthan State) श्रेणी के आवेदकों हेतु Rs. 150 का आवेदन पत्र

क्रमशः.........

- केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति (Only for S.C. Candidates of Rajasthan State) श्रेणी के आवेदकों हेतु Rs. .50. का आवेदन पत्र
- केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जन जाति (Only for S.T. Candidates of Rajasthan State) श्रेणी के आवेदकों हेतु Rs. 50 का आवेदन पत्र

<u>कृपया ध्यान दें :</u>

1. **OMR Sheet के कॉलम संख्या 11 में पद की क्रम संख्या का स्पष्ट उल्लेख करें।**
2. आवेदन पत्र आयोग को भेजते समय लिफाफे पर <u>विज्ञापन संख्या, पद की क्रम संख्या एवं पद नाम</u> का अवश्य उल्लेख करें।
3. आवेदक **OMR Application Sheet** के कॉलम व गोले भरने हेतु केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करें।
4. आवेदक आयोग को आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि बॉक्स में की गई प्रविष्टियां व गोले एक समान है। गोले और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियों मे यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के अस्वीकृत कर दिया जायेगा। केवल गोले में भरी गई सूचना को सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। **OMR Application Sheet** में किसी भी संगत **(Relevant)** कॉलम को खाली नहीं छोड़े। अधूरा भरा **OMR Application sheet** अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
5. विज्ञापित पदों की आयोग द्वारा परीक्षा कराई जावेगी। परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल आवेदकों से आयोग द्वारा मुद्रित विस्तृत आवेदन पत्र भेजकर भरवाया जायेगा। **आवेदकों से विस्तृत आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र पाये गये अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोग द्वारा लिये जाने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जायेंगे।**
6. **OMR Application Sheet** के किसी प्रकार के मूल/प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं करें।
7. आवेदक श्रेणी वार तय किये गये आवेदन पत्र के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर ही आवेदन करें । गलत श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोग द्वारा रदद् कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी । <u>**आवेदक आवेदन पत्र स्वयं की हेन्डराइटिंग से भरे अन्यथा उसका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जायेगा।**</u>
8. **आवेदक भरे हुए आवेदन पत्र व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड ए.डी., स्पीड पोस्ट डाक द्वारा सीधे ही आयोग कार्यालय को भेजें ।**
9. Application Form Packet OMR Application Form, Envelope & Instruction उपलब्ध होंगे । यदि आवेदक द्वारा O.M.R. Application Form में भरी गई सूचनाएं अपूर्ण अथवा त्रुटि पूर्ण पाई जाती है तो आयोग द्वारा आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जायेगा ।
10. आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात आवेदन पत्र में भरी गयी किसी भी सूचना में परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी ।
11. अभ्यर्थी को उसके द्वारा O.M.R. Application Form में भरी गई सूचना के आधार पर ही परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा अतः आवेदक O.M.R. Application Form को सावधानी पूर्वक भरें , इसके लिये आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें ।
12. O.M.R. Application Form समयान्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है । आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे ।

नोट :–

1. आवेदक जिनके आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियॉं आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं । आयोग द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग, अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।

2. आवेदक इस परीक्षा के सेवा नियम राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1981 का अध्ययन कर लें । नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

3. आयोग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है । परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की नवीन वैब साइट http://www.rpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

4. अनुचिंत साधनों की रोकथाम :– परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा

क्रमशः.........

(अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर दी गई है।

12- परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

Syllabus for Competitive Examination for the post of Vidhi Rachnakar.

The Competitive Examination shall indude the following subject :-

1. Translation from English to Hindi or in any other language recognized by the Constitution. (Candidates shall be required to translate into Hindi or some other language passage from press communiqués, press articles, Government Resoluations, Legislations, rules and instructions and to explain common expressions elitches etc in use such compositions.)	100 Marks
2. Translation from Hindi or other particular language into English. (Candidates shall be required to translate into English or some other language passage from press articles, speeches etc.)	100 Marks

Note:- The time allowed for the two written papers shall be 3 hours each. Deduction willl be made from marks assigned to candidates on account of bad handwriting.

Viva-Voce:- (1) Candidates who obtain such minimum Qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test which will carry 25 marks. The Commission may in its discretion award grace marks upto one in each paper and upto three in the aggregate. The Commission may fix minimum qualifying marks in the written examination for the scheduled cast and the scheduled Tribes candidates lower then what is prescribed for other candidates . The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each candidate.

2. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be paid both ways actual railway fare of the lowest class by passenger train beyond 80 kilometers in accordance with the orders of the Government to appear at the Viva-voce test. Other candidates shall appear in the Viva-Voce test, at their own expense.

13. आयोग की वेबसाइट :– उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट http://www.rpsc.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145–2627696, 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाये ।

सचिव